वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग – 1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1. परियोजना विवरण

(i) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण ।

विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की संसोधित धारा एवं अधिनियम 2003 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के कार्यान्यवन में देष में एकीकृत एवं प्रभावकारी बिजली पारेषण प्रणाली नेटवर्क को विकसित करने के उद्देश्य से पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम), जिसका पंजीकृत कार्यालय, बी–9 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरीया कटववरिया सराए, नई दिल्ली – 110016 मे है। पावरग्रिड द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के भाग 68 के अन्तर्गत एवं भारत सरकार के अग्रिम अनुमोदन के तहत् **Common Transmission System Associated with East Coast and NCC Power Projects in Srikakulam Area-Part A** उत्पादन परियोजनाओं के लियें एकीकृत एवं प्रभावकारी बिजली पारेषण प्रणाली नेटवर्क को विकसित करने के उद्देश्य से **765 KV D/C (Hexagonal) 2nd Jharsuguda to Dharamjaygarh Transmission Line (Ckt 3&4),** का निर्माण, परिचालन एवं रखरखाव से संबंधित योजना का निर्माण किया जाना है। इस योजना के अतर्गत रायगढ़ क्षेत्र में भविष्य में आने वाली विभिन्न विधुत् परियोजनाओं को जोड़ा जाना है जिससे छ.ग. सहित् देश के अन्य राज्यों में बिजली पारेषण प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय एवं सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।

यह संचरण पथ आवश्यकता अनुसार 4000 मेंगावाट का विद्युत प्रवाह दोनों दिशाओं में कर सकेगी। यह परियोजना राष्ट्रिय ग्रिड का एक हिस्सा है जो पावर सिस्टम आपरेशन में स्थायित्व प्रदान करेगा। इस परियोजना से भारतीय विद्युत व्यवस्था की सुदृढ़ता एवं विश्वसनियता को और अधिक बढ़ायी जा सकेगी तथा विद्युत प्रभाव सत्त रखा जा सकेगा।

इस परियेाना से देश के विभिन्न राज्यों के कृषि तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा देश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होगें। उक्त परियोजना के द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग छ.ग. के अलाव देश के अन्य राज्यों द्वारा भी किया जायेगा जिससे अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी।

रायगढ़ जिले में उक्त **765 KV D/C (Hexagonal) 2nd Jharsuguda to Dharamjaygarh Transmission Line (Ckt 3&4),** के निर्माण हेतु रायगढ़, धरमजयगढ एंव कोरबा वन मण्डल के अंर्तगत 153.4481 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि की आवश्यकता है।

(ii) 1: 50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप ।

वांछित मानचित्र संलग्न है।

(iii) परियोजना की लागत ।

परियोजना मे लगभग रूपये 360 करोड़ की लागत आयेगी।

(iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य ।

यह परियोजना राष्ट्रीय ग्रिड निर्माण का एक हिस्सा है जिससे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट एवं देश के अन्य राज्य लाभान्वित होगें। इस परियेाना से देश के विभिन्न राज्यों के कृषि तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा देश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकेगें। इस संचरण पथ द्वारा **Common Transmission System Associated with East Coast and NCC Power Projects in Srikakulam Area-Part A** उत्पादन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का पारेषण देश के विभिन्न भागों में किया जाना है।

राष्ट्रीय महत्व की यह परियोजना झारसुगुडा से धरमजयगढ़ तक प्रस्तावित है। परियोजना के अंतर्गत लाइन की लंबाई लगभग 104.138 कि.मी. है जिसमें कुल 697.7246 हे. भूमि का उपयोग किया जाना है, जिसमें मात्र 23.380 कि.मी. (153.4481 है.) वन भूमि एंव राजस्व वन भूमि प्रभावित होती है। संचरण पथ के मार्ग चयन हेतु तीन विकल्पों का अध्ययन किया गया, जिसमें कम से कम प्रभावित वन भूमि वाले पथ को भौगोलिक एवं तकनीकी परिस्थितियों के अनुसार चयनित किया गया जो कि न्युनतम एवं अपरिहार्य है। इसके अलावा अन्य विकल्पों में अधिक वन भूमि प्रभावित होती है।

क.विकल्प		प्रभावित वनक्षेत्र का क्षेत्र..	वनक्षेत्र की लंबाई
1	विकल्प –I	153.4481 हे.	23.380 किमी.
2	विकल्प –II	231.786 हे.	34.595 किमी.
3	विकल्प –III	212.591 हे.	31.730 किमी.

वन भूमि के अतिरिक्त कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं है अतः न्यूनतम वन भूमि का उपयोग सुनिश्चित किया गया है।

(v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

संलग्न है ।

(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है ।

उक्त कार्य संपादन के दौरान तथा कार्य पूर्णता के पश्चात लगभग 182500 मा.दि. कार्य उपलब्ध होने की संभवना है।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण ।

उद्देश्य	वन भूमि (हे.)	राजस्व वन भूमि (हे.)	निजी / गैर राजस्व वन भूमि (हे.)	परियोजना में प्रभावित कुल भूमि (हे.)
प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग 765 के.व्ही. द्विपरिपथ झारसुगुडा से धरमजयगढ़ तक 2nd संचरण पथ के निर्माण हेतु किया जायेगा।	122.1527	31.2954	544.2765	697.7246

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है ।

———————— निरंक ————————

(i) परिवारों की संख्या

———————— निरंक ————————

(ii) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या ।

———————— निरंक ————————

(iii) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

———————— आवश्यकता नही है। ————————

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजुरी आवश्यक है ? (हां / नहीं)

———————— नहीं ————————

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और / या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ –साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में वनीकरण की वचनबद्धता

———————— सलग्न हैं ————————

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा ।

संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रो/दस्तावेजो का ब्यौरा निम्न प्रकार है।
नवीन चेक लिस्ट के अनुसार :–

आर.आर. बारस्कर/R.R. Baraskar
मुख्य प्रबंधक/Chief Manager
पावर ग्रिड रायगढ़/Power Grid Raigarh

हस्ताक्षर
(नाम साफ अक्षरों में)
पदनाम
पता (प्रयोक्ता एजेंसी)

तिथि :– 04/09/2015

स्थान :– रायगढ़